



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272 ]  
No. 272]नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2003/ज्येष्ठ 21, 1925  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2003/JYAISTHA 21, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2003

सा.का.नि. 475(अ).—चूंकि केन्द्र सरकार, पदार्थों (प्राकृतिक अथवा संश्लेषी), अथवा प्राकृतिक सामग्री की प्रकृति और प्रभाव एवं ऐसे पदार्थों से संबंधित संशोधनों तथा मनः प्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1971 में शामिल किए गए परिवर्तनों के संबंध में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हैं;

इसलिए अब, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस अधिनियम, 1985 की अनुसूची में निम्नलिखित आगे और संशोधन करती है, अर्थात् :—

क्रम. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-एकायुक्त नाम	अन्य गैर एकायुक्त नाम	रासायनिक नाम
106			2-सी-बी (4-ब्रोमो-2, 5 डीमियोक्सिफेनी-थैलेमिन)
107			4-एम.टी.ए. (मिथाइल-4-मिथाइल थायाफेनी थैलेमिन)
108			जी.एच.बी. (आर-हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रिक एसिड)
109			जोलपिडेम (आई.एन.एन.)"

क्रम सं. 106 पर की प्रविष्टि "लवण एवं उपर्युक्त की निर्मितियां" को क्रम सं. 110 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

[फा. सं. बी./59/2002-स्वा.नि. II]

श्यामला मोहन, अपर सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य अधिनियम 1985 का 61 की अनुसूची को सा.का.नि. 785(अ) दिनांक 26-10-92, सा.का.नि. 49(अ) दिनांक 8-1-93 तथा सा.का.नि. 39(अ) दिनांक 12-1-96 के द्वारा संशोधित किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2003

G.S.R. 475(E).—Whereas the Central Government is satisfied on the basis of information and evidence which is available with it with respect to the nature and effect of the substances (natural or synthetic), or natural material and modifications with respect to such substances and the changes that are been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments to the schedule of that Act, 1985, namely :—

S. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
106			2C-B (4-bromo-2, 5 dimethoxyphenethylamine)
107			4-MTA (Methyl-4-Methyl thiophenethylamine)
108			GHB (r-Hydroxybutyric Acid)
109			Zolpidem (INN)"

the entry at serial No. 106 "salts and preparation of the above" shall be renumbered as serial No. 110.

[F.No. V/59/2002-NC.II]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

Foot note :—The Schedule of the Principal Act 61 of 1985 has been amended by S.O. 785(E) dated 26-10-92, S.O. 49(E) dated 8-1-93 and S.O. 39(E) dated 12-1-96.